

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/रसद/21/2017

सुरेश चन्द उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 5 व 6 कस्बा नदबई तहसील नदबई
जिला भरतपुर

..... अपीलान्त

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

.....रेस्पो0

प्रथम अपील विरुद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर
दिनांक 17-02-2017 प्रकरण 3/16 निरस्त करने
प्राधिकार पत्र अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम

उपस्थिति:-

- 1-गजेन्द्र सिंह फौजदार ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
- 2-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 18.6.2019

प्रार्थी वकील अनुपस्थित। ई.ओ. उपस्थित। प्रार्थी एवं प्रार्थी के वकील को कई बार
आवाज लगवाई। बावजूद उप0 नहीं आये। अतः अपील अदम पैरवी अदम हाजरी
में खारिज की जाती है। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

(डॉ. आरुषी मलिक)

जिला कलक्टर

भरतपुर

Web Copy - Not Official